(15)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 158 / 2009 दायर दिनांक–06.06.2017

1. राकेश कुमार सोगण पुत्र महाबीर प्रसाद
2. रामकरण सिंह पुत्र महाबीर प्रसाद
   जाति समस्त मेघवाल निवासी बसवा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. नानगराम पुत्र हरसाराम जाति नायक निवासी जनता कॉलोनी नवलगढ रोड वार्ड नम्बर 40 सीकर तहसील व जिला सीकर राजस्थान।
2. राकेश पहाड़िया पुत्र उदमराम जाति खटीक निवासी निम्बाहेडा मकान नम्बर 100 वार्ड नम्बर 14 जिला चितौडगढ़ राजस्थान।
3. बाबूलाल पुत्र बिड़दूराम
4. प्रभाती पुत्री बिड़दूराम
5. चुकी पुत्री बिडदूराम
   जाति समस्त मेघवाल निवासीगण बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
6. सोनी देवी पत्नी दुर्गाप्रसाद जाति मेघवाल निवासी बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
7. तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

प्रतिवादीगण

वकील वादी :– श्री चन्द्रकांत शर्मा
वकील प्रति. नं. :– श्री सज्जन कुमार चाहर

दावा बंटवारा जमीन

अ.धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 28–07–2022

वाद वादी दिनांक 31.12.2018 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ को मोका कमीश्नर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट दिनांक 16.12.2021 प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभय पक्ष सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव में पटवारी हल्का द्वारा नोट अंकित किया गया कि वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 में मुन्नी देवी पत्नी श्यामलाल हिस्सा 5/108, श्रवण कुमार पुत्र कालू राम हिस्सा 11/119 जाति मोहनलाल अंकन है जिसमे निर्णय डिक्री में वादी एवं प्रतिवादी के रूप में पक्षकार के रूप में अंकन नही है। निर्णय डिक्री में दर्ज वादी/प्रतिवादी के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस कथन किया कि श्रवण कुमार प्रकरण में पक्षकार संयोजित होने के बाबत प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश किया गया था जिसको आवेदक द्वारा नोट–प्रेस कर लिया गया हैं। वादी की खातेदारी की सीमा तक विभाजन किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है। सम्पूर्ण विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी वादी स्वीकार किया जाता है तो विभाजन प्रस्ताव में लगे नोट अनुसार खतोदारो के हक अधिकार प्र[illegible] संबध में वादी द्वारा कथन किया गया कि वादी के हद तक विभाजन किया जावे तथा वर्तमान जमा[illegible] सम्वत् [illegible]75–2078 में मुन्नी देवी पत्नी श्यामलाल हिस्सा 5/108, श्रवण कुमार पुत्र कालू राम हि[illegible] का खाता शामिल में यथावत रखते हुए वादी का विभाजन किया जा[illegible] तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण की हद तक स्वीकार करने से वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2075–207[illegible] देवी पत्नी श्यामलाल हिस्सा 5/108, श्रवण कुमार पुत्र कालू राम हिस्सा [illegible]119 जाति मोहनलाल को श[illegible]रो के शामिल में रखा जाना उचित प्रतीत होता है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण की हद तक वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसरण में वादीगण की हद तक आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:31:35 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

उक्त वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव आंशिक रूप से वादीगण की हद तक तथा शेष खाता वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 में मुन्नी देवी पत्नी श्यामलाल हिस्सा 5/108, श्रवण कुमार पुत्र कालू राम हिस्सा 11/119 जाति मोहनलाल खातेदारो को शामिल मे रखते हुये यथावत रखते हुए स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम बसावा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 783, 784, 785 रकबा क्रमशः 0.30, 0.28, 0.61 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.19 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
1	राकेश कुमार सोगण, रामकरण सिह पिता महाबीर प्रसाद जाति मेघवाल निवासी साकिन देह खातेदार काश्तकार	785/1	0.1100	बारानी I
2	शेष खाता यथावत रखा जाता है।	01	0.1100	
		–	–	–

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नही है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय मे अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सही)
उपखण्ड अधिकारी (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:31:35 IST
Reason: SelfAttested

(18)

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)नवलगढ

मुकदमा नम्बर 99/2017

दावा : विभाजन

(राकेश कुमार सोगण आदि बनाम नानगराम आदि)

अन्तिम डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब–मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28.07.2022 निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव आंशिक रूप से वादीगण की हद तक तथा शेष खाता वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 में मुन्नी देवी पत्नी श्यामलाल हिस्सा 5/108, श्रवण कुमार पुत्र कालू राम हिस्सा 11/119 जाति मोहनलाल खातेदारो को शामिल में रखते हुये यथावत रखते हुए स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम बसावा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 783, 784, 785 रकबा क्रमशः 0.30, 0.28, 0.61 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.19 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
1	राकेश कुमार सोगण, रामकरण सिंह पिता महाबीर प्रसाद जाति मेंघवाल निवासी साकिन देह खातेदार काश्तकार	785/1	0.1100	बारानी I
		01	0.1100	
2	शेष खाता यथावत रखा जाता है।	–	–	–

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

बशख्स मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.07.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:31:35 IST
Reason: SelfAttested

उपधारा/ [illegible]

L.R.
[illegible]
16/12/2021

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

मैं ...[illegible]...(नाम) तहसीलदार....[illegible] न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, .[illegible]... के आदेश कमांक .... दिनांक 28/10/2021 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 10/12/2021 समय ....बजे आराजी खसरा नम्बर-..783, 784, 785 के ग्राम [illegible] पटवार हल्का ..[illegible]....... पर श्री-.भू. अभिलेख निरीक्षक [illegible] व पटवारी [illegible] नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, ...[illegible]... में विचाराधीन प्रकरण संख्या-.39/2017.. के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक [illegible] दिनांक 28/10/2021.... द्वारा जारी किये गये थे उनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1	राकेश कुमार खींचड़	S/o महावीर प्रसाद		मेघवाल	वादी
2	रामकरण सिंह	S/o महावीर प्रसाद		मेघवाल	वादी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के [illegible] के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया :-

राकेश कुमार खींचड़, रामकरण सिंह पिसर महावीर प्रसाद जाति मेघवाल [illegible] रतनगढ़	785	0-1100	क्या-I	
योग — 1		0-1100	क्या-I	
[illegible] देवी पत्नी दुर्गाप्रसाद हिस्सा 119/432, [illegible] देवी, [illegible] देवी पुत्रीयां [illegible] हिस्सा 992/10800, बाबूलाल पुत्र [illegible] हिस्सा 1983/10800 जाति मेघवाल [illegible] रतनगढ़, राकेश [illegible] पुत्र [illegible] हिस्सा 51/216 जाति [illegible] नि० [illegible] मकान No. 100 वार्ड No. 14 [illegible], [illegible] पुत्र [illegible] हिस्सा 23/10800 जाति [illegible] निवासी जनता कॉलोनी [illegible] रोड वार्ड No. [illegible] रतनगढ़	783	0-3000	क्या-I	[illegible]
	784	0-2800	क्या-I	
	785/2	0-5000	क्या-I	
योग — 3		10800	क्या-I	

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:31:35 IST
Reason: SelfAttested

मजरी नक्शा

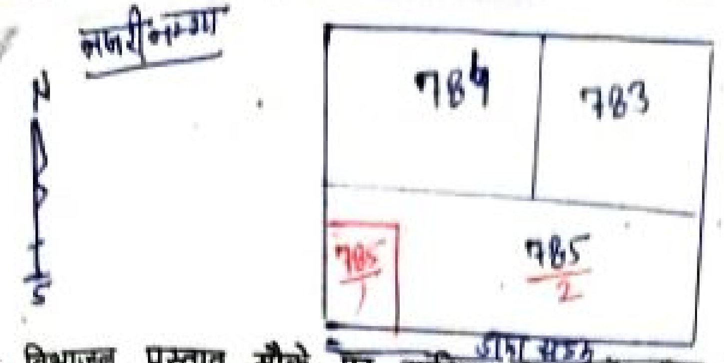

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/. प्रतिवादी.
1	गणेश कुम्भ[illegible]	S/o महावीरप्रसाद	मेघवाल	[signature]	वादी
2	रामकरण[illegible]	S/o महावीरप्रसाद	मेघवाल	रामकरण	वादी

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/. प्रतिवादी.
—	—	—	—	—	—

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :- हस्ताक्षर

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/	हस्ताक्षर
1	महावीरप्रसाद	S/o [illegible]	70	मेघवाल	[illegible]6986	महावीर [illegible]
2	संजय	S/o [illegible]	38	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	मुकेशकुमार	S/o [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	मुकेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:31:35 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार आज दिनांक 10/12/2021 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। [illegible]

हस्ताक्षर पटवारी

हस्ताक्षर भू. अ. निरीक्षक

हस्ताक्षर 16/12/2021 तहसीलदार

हस्ताक्षर

नक्शा ट्रेस ग्राम बासावा तहसील = नवलगढ़
नया भू प्रबन्ध वर्ष - 1979-80 पैमाना 1 सेमी = 40 मीटर

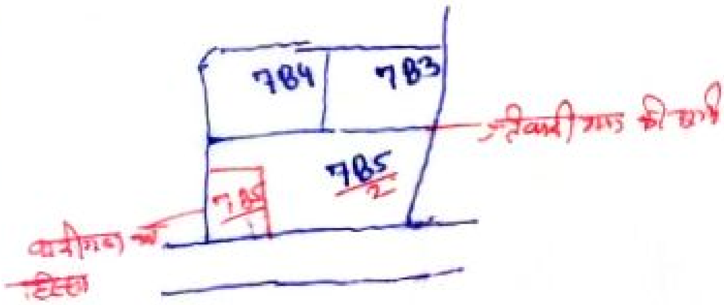

आत्म प्रतिलिपि /

राजकीय प्रयोजनार्थ के लिए नक्शा ट्रेस नकल जारी किया

C.S.

16/12/2021

पू.ई बलावा

जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:31:35 IST
Reason: SelfAttested

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

23

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

्साबा	अंतिम चौसला आधार सम्वत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2019) मे स्थायी
्साबा	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
साबा	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
ाड़	खाता संख्या नया :- 425
	खाता संख्या पुराना :- 451

्म:-

बीड्दूराम हिस्सा- 1/24 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार

पुत्र हरसाराम हिस्सा- 12/119 जाति- नायक सा. जनता कालोनी नवलगढ रोड वार्ड न.40 सीकर खातेदार

्री बीड्दूराम हिस्सा- 1/24 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार

पुत्र बिड्दूचनणी हिस्सा- 13/108 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार

पत्नि श्यामलाल हिस्सा- 5/108 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार

ारसोगण पुत्र महावीरप्रसाद हिस्सा- 11/238 जाति- मेघवाल सा. जनता खातेदार

ाडिया पुत्र उदयराम हिस्सा- 3/14 जाति- खटीक सा. निम्बाहेडा खातेदार

ानसिंह पुत्र महावीरप्रसाद हिस्सा- 11/238 जाति- मेघवाल सा. जनता खातेदार

्मार पुत्र कालूराम हिस्सा- 11/119 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार

देवी पत्नि दुर्गाप्रसाद हिस्सा- 1/4 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार,

	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
	0.3000	बारानी 1	0.3000	1.85		स्वीकृत नामांतरकरण : 27 08/09/2021 शुद्धिपत्र	
	0.2800	बारानी 1	0.2800	1.73		स्वीकृत नामांतरकरण : 30 08/10/2021 शुद्धिपत्र	
	0.6100	बारानी 1	0.6100	3.77		स्वीकृत नामांतरकरण : 2455 20/09/2019 बेचान	
						स्वीकृत नामांतरकरण : 2644 23/09/2021 बेचान	
-3	1.1900		1.1900	7.3500			

्वल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

्योग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

्री करने की तिथि :- 10-Dec-2021

सत्यप्रतिलिपि

राजकीय प्रयोजनार्थ के लिए जमाबन्दी नकल जारी किया

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:31:35 IST
Reason: SelfAttested

16/12/2021

P.T.O